न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 97/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. भैरूलाल पिता उदा माली निवासी देवनगर प्रथम (नाहरी) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. नारायणसिंह पिता सोहनसिंह राजपुत निवासी जोगरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. किशन पिता लक्ष्मणलाल माली ना.बा.व.वि. माता मांगीबाई बेवा लक्ष्मण माली निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. पंकज पिता लक्ष्मणलाल माली ना.बा.व.वि. माता मांगीबाई बेवा लक्ष्मण माली निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. मांगीबाई बेवा लक्ष्मण माली निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. भुरालाल पिता हजारी माली निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. शांतिलाल पिता हजारी माली निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. बंशीलाल पिता देवीलाल माली निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. मुकेश चौधरी — अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 03.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम तोलास पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त में राजस्व खाता संख्या 142 में वर्णित आराजी संख्या 296 रकबा 0.13 हैक्ट. कुल किता 01 कुल रकबा 0.13 हैक्ट. भूमि स्थित है। प्रमाण में चालु जमाबंदी व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थी की आराजी के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त कर, काश्त का लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने के दरमियान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता हैं। जिससे प्रार्थी की उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराया जाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण उक्त आराजियात के पड़ौसी होने से पक्षकार बनाये गये है। प्राथी ने कई बार उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण टालम टोल का जवाब देते रहे है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 30.10.2018 को कहा । लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढ़ी करवाने से इंकार हो गये है, जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 14.11.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के

आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम तोलास पटवार हल्का बोरियापुरा के बेरून हल्का आबादी मे स्थित आराजी संख्या 296 रकबा 0.13 हैक्ट., कुल किता 01 कुल रकबा 0.13 हैक्ट. भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है, तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 100/– अक्षरे एक सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा